न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 16/2019

बनाम

प्रार्थी :–
धर्माराम पुत्र गुणेशराम जाति जाट निवासी जालीवाड़ा कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

अप्रार्थीगण :–
1. उगराराम पुत्र दलाराम
2. ढगलाराम पुत्र दलाराम जातियान जाट निवासी खारिया अनावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
3. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता : श्री बख्तावर सिंह जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 22.08.2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम जालीवाड़ा कलां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 154/5 रकबा 1.1407 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुई है । प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 154/5 के विपरा दक्षिण पश्चिमी तरफ अप्रार्थीगण सं. एक व दो की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 158 रकबा 1.5776 हैक्टयर भूमि आयी हुई है । प्रार्थी व अप्रार्थी सं. एक व दो के मध्स सेटलमेन्ट समय से पुरानी माठ कायम है तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन पर काबिज काश्त है लेकिन अप्रार्थीगण सं. एक व दो बीच की माठ को खुर्द बुर्द करते आ रहे है तथा बीच की माठो को खुर्द बुर्द कर अप्रार्थीगण सं. एक व दो ने अपनी जमीन में मिला ली तथा आए दिन बीच की पाली को खुर्द बुर्द करते रहे है जिसको लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. एक व दो के मध्य कई बार कहासुनी हो गयी लेकिन अप्रार्थीगण मान नही रहे है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को अपनी अपनी जमीन का नाप चौप करवाने का कहा लेकिन अप्रार्थीगण सं. एक व दो नाप चौप भी नही करवा रहे है इसलिए प्रार्थीगण को अपनी जमीन का नाप चौप कर सीमांकन करवाकर व पत्थरगड़ी करवाने का प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। अप्रार्थी सं. एक व दो दिनांक 20.01.2019 को प्रार्थी की वादग्रस्त जमीन के अन्दर आकर पेड़ पोधे काटने लग गये जिस पर प्रार्थी ने मना किया तथा अप्रार्थीगण को बीच की मेड़/माठ को खुर्द बुर्द नही करने हेतु कहा लेकिन अप्रार्थीगण माने नही तथा ऐलानिया रूप से कहा कि वह प्रार्थीगण की वादग्रस्त जमीन पर अतिक्रमण करके रहेगे तथा प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करके रहेगे, जबकि उन्हे ऐसा करने का का कोई विधिक अधिकार नही है । अप्रार्थीगण बदमाश झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है जो प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की दक्षिणी पश्चिमी कोने की माठ खुर्द बुर्द कर दी है तथा हर रोज झगड़ा फिसाद कर रहे है जिसको लेकर प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकारो की सुरक्षा हेतु अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौप करवाकर सीमांकन करवाने एवं चारो तरफ मुटाम/ पत्थगड़ी करवाना चाहते है जिसके लिए प्रार्थी अपने खर्च से पत्थर उपलब्ध करवाने को

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

शार है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 154/5 रकबा 1.1487 का नाप चौप करवाकर सीमांकन कर चारो तरफ पत्थरगढ़ी किया जाने का आदेश फरमावें ।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये वकील अप्राथी 1 से 2 के सम्मन बाद तागील प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षकीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार पीपाड़ शहर फोरमल पक्षकार है ।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई वकील प्रार्थीगण ने बहस करते हुए कहा कि ग्राम जालीवाड़ा कलां के खसरा नम्बर 154/5 रकबा 1.1407 हैक्टयर भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्यायसंगत है एवं वकील प्रार्थीगण ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी, खातेदारी कब्जा सुदा भूमि है । जिस पर प्रार्थीगण पीढ़ियो से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है ।

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि प्रार्थी अपनी वादग्रस्त आराजी का खातेदार व काश्तकार है उसे अपनी खातेदारीसुदा जमीन पर सीमांकन करवा कर मुटाम स्थापित करवाने का पूर्ण अधिकारी है । यदि अप्रार्थीगण अपने धन बल व भुज बल के आधार पर प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी की माठ को खुर्दबुर्द कर कब्जा करने की कोशिश की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी अन्य रूप से नही हो सकती है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिये वादग्रसत आराजी का नाप चौप व सीमांकन करवा कर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम जालीवाड़ा कलां के खसरा नम्बर 154/5 रकबा 1.1407 रकबा भूमि का टीम गठित कर नाप चौप व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करावे । अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner